

819

उभय पक्ष उपस्थित पीअरसीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक ...13.8.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13-8-19 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित, वकील
वादी ने बटस करनी चाही। बटस सुनी गई,
वास्ते पत्रावली में आदेश हेतु नियत फिरोक
16-8-19 को पेश हो।

16-8-19

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो
22-8-19

22-8-19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील
वादी ने बटस में बताया कि उत्तिवादी सं. 01 अर्थात्
॥ के कथनः पिता, पति, सुसर पितामह श्री सुन्दरलाल
पिता रामचन्द्र सुन्दर तथा वादी के पिता के नाम एक
शामलाती राजस्व अभिलेख मौजा आण्डल की जमाबंदी
खतौनी सं. 1900 संवत् 2035 से 2038 तक आराजियात
अर्थात् एंव वसी प्रकार वादी एंव उत्तिवादी सं. 01 अर्थात्
॥ के पिता/दादा/पति सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र सुन्दर के नाम
एक सामलाती राजस्व अभिलेख मौजा आण्डल तखील आण्डल
की जमाबंदी खतौनी सं. 930 संवत् 2070 से 2073 में आरजनी
थी, वादी एंव उत्तिवादी सं. 1 से ॥ के बर्ज की सभी आराजियात
में सभी का 1/3 एक हिस्सा निहित है, तथा उत्तिवादी
सं. 1 अर्थात् ॥ के पिता/दादा/पति सुन्दरलाल पिता
रामचन्द्र ने अपने एक हिस्से की आराजियात की वादी
के पिता के बंशीलाल जी को आपसी बंटवादे के अनुसार
बंशीलाल के बर्ज ही दे दी थी, जिस पर वादी के पिता
बंशीलाल का बिज हीकर उपयोग उपयोग करते चले
आ रहे हैं। तथा बंशीलाल की सी मल्यु के उपरान्त उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मांडल गिरा भीलवाड़ा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
	<p>आराजियात पर वार्दी का बिज टोकर काश्त करता चलाआ रहा है तथा प्रतिवारी सं. ०१ लगायत ॥ के पिता/दादा/पिता सुन्दरलाल द्वारा वार्दी के पिता नशीलाल को आराजी संख्या ३९९२, ३९९३, ३९९५, ३९९६, ३९८८ व ३९८९ सेक्टर से सर्व बंधाये से ही गई थी, जिसे अनुसार आराजी सं. ३९९२ व ३९९६ के वार्दी के नाम पर दर्ज हो गई, किन्तु राजस्व कर्मचारी की वृद्धिवा आराजी सं. ३९९३, ३९९५, ३९८८ व ३९८९ प्रतिवारी सं. ०१ से ॥ व प्रतिवारी सं. ०१ लगायत ॥ के मृतक पिता सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र के नाम पर दर्ज हो गई, जिसे विलोपित कर उक्त आराजी सं. ३९९३, ३९९५, ३९८८ व ३९८९ को वार्दी के नाम पर किये जाने की इस्तुआ की।</p> <p>मैंने फावली का अवलोकन किया तथा फावली में स्थित दस्तावेजों पर मन्मथ बिषा, व्याथलित में वार्दी का वादपुस्तिकाद किया जाकर ग्राम माण्डल परवाद हल्का माण्डल तहसील माण्डल में स्थित आराजी संख्या ३९९३ रकबा ०१ बीघा ०७ बिस्वा, आराजी संख्या ३९९५ रकबा १८ बिस्वा, आराजी संख्या ३९८८ रकबा ०७ बिस्वा, आराजी सं. ३९८९ रकबा ०२ बिस्वा, कुल कित्ता ०५ रकबा ०२ बीघा १० बिस्वा है जो सेक्टर से सर्व हुई पारिवारिक बंधाये से वार्दी के पिता को ही गई भूमि जिसमें से प्रतिवारी संख्या ०१ लगायत ॥ के व प्रतिवारी सं. ०१ लगायत ॥ के मृतक पिता सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवारी सं. ०१ लगायत ॥ का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर वार्दी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। उसी अनुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में अमल फरामद करे। शर्चा फरिबेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिप्टी जारी है। फावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम ही</p>	

उपखण्ड अधिकारी :
मांडल जिला भीलवाड़ा :

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वर्जलास श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आ००५०५०)

अन्वान प्रकरण

श्री प्रहलाद ड० बेशी लाल सुनार निवासी - माण्डल तहसील माण्डल - वादी

- 1) श्री राजेन्द्र ड० सुन्दरलाल सुनार निवासी - माण्डल तहसील माण्डल 2) श्री रघुनन्दन ड० सुन्दरलाल सुनार नि० माण्डल 3) सुशीला ड० सुन्दरलाल ड० बरनारायण सोनी निवासी माण्डल हाल नि० ई हवेली का चौक, रोशन जी लागेरी की दुकान मेनापधाराकेला - राजसमूह
- 4) पुष्पा ड० श्री सुन्दरलाल ड० सत्यनारायण सोनी नि० माण्डल हाल नि० 5H 43 पत्नी डी टेंडी के पीके चन्द्रशेखर अछादनगर भीलवाड़ा 5) श्रीमती रामकृष्ण ड० सुन्दरलाल निवासी - माण्डल तहसील माण्डल 6) श्री सुशीला ड० जगदीश सुनार निवासी - माण्डल हाल निवासी - बडा मुहुडा सफर बाजार वाया सागानेर तहसीलवाड़ा 7) श्रीमती कर्नादा देवा जगदीश सुनार निवासी - माण्डल हाल निवासी - बडा मुहुडा सफर बाजार वाया सागानेर तहसीलवाड़ा
- 8) कान्ता ड० श्री जगदीश ड० अशोक वर्मा निवासी - माण्डल हाल नि० दुरोकी हाऊस के पीके सुन्दरवास अरविन्द नगर उदयपुर तहसील - उदयपुर 9) अम्बती ड० श्री जगदीश ड० जगदीश सोनी नि० माण्डल हाल नि० केमेट्रिके पास सराफाबाजार भीलवाड़ा भीलवाड़ा
- 10) मीना ड० श्री जगदीश ड० श्री दिनेश सोनी नि० माण्डल हाल नि० शिवगंज तहसील जिला सिरोही
- 11) कल्याण ड० श्री जगदीश ड० जगदीश सोनी नि० माण्डल हाल नि० सूरिया तहसील जिला राजसमूह
- 12) राजस्थान राज्य सरि० तहसीलदार माण्डल तहसील - प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 मुकदमा नं० / वर्ष 12/18 निर्णय दिनांक 22-8-19

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कर्तई स्वरूप अदालत व हिजरी बकौल वादी

मिनजानिव मुददई व श्री सुरेन्द्रताप सुवालवाला नलाभिव नुदावला पेश होकर हुमा

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल परतार टल्का माण्डल तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी नं. 3993 रकबा 01 नीचा 07 बिस्वा, आराजी नं. 3994 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नं. 3988 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नं. 3989 रकबा 02 बिस्वा कुल क्ति 04 रकबा 02 नीचा 10 बिस्वा भूमि जो सेरलमेट से बर्ष पारीकारिक बटवाडे से वादी के पिता को दी गई भूमि जिसमे से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 एवं प्रतिवादी सं. 01 लगायत 11 के मृतपुत्र पिता सुन्दरलाल पिता रामचन्द्र का नाम क्रिप्ट किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 11 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। स्वर्चा फिडिअ अपना - अपना वहन करे।

आज तारीख 22-8-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा